न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/13

1. अमीर आयु 74 वर्ष आत्मज अहमद खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गनी आयु 59 वर्ष आत्मज अहमद खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रसीद आयु 49 वर्ष आत्मज भूरेखॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. बाबू अली आयु 39 वर्ष आत्मज भूरे खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. रफीक खान आयु 34 वर्ष आत्मज भूरे खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. ईदा आयु 79 वर्ष बेवा भूरे खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. रूकशाना बानो आयु 51 वर्ष पुत्री भूरे खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. रईसा बानो आयु 54 वर्ष पुत्री भूरेखॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. सलमा बानो आयु 32 वर्ष पुत्री भूरे खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. बादुल्ला खॉ आयु 76 वर्ष आत्मज जमाल खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. घांसी खॉ आयु 59 वर्ष आत्मज जमाल खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. राज0 राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश चन्द नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली में कुल 14 किता की रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित है व अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 9 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का अभी तक पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रार्थीगण मौके पर खसरा नम्बर 3008, 3047, 3037, 3034 पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा उक्त भूमि को चाह खसरा नम्बर 1039 से सिंचित करते हैं । अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे हैं और उक्त भूमि को बिना विभाजन करवाये खुर्द–बुर्द एवं रहन, बेचान करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें चाह खसरा नम्बर 3039 से सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये बिना उक्त भूमि के किसी हिस्से को रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.10.2020 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2020 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टगण का 1/2 हिस्सा निहित है । रेस्पोडेन्ट को अपने हिस्से से अधिक भूमि पर दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । रेस्पोडेन्ट द्वारा गत 45 वर्ष पूर्व बंटवारा हो जाने के बाबत् कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद अपीलान्ट के हिस्से की भूमि पर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन नहीं कर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट नें अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 19.11.2020 को नकल प्राप्त हुई उसके बाद अपीलान्टगण दिनांक 13.12.2020 से अपनी रिश्तेदारी की गंमी में आगरा चले जाने व प्रार्थी अमीर सर्दी बुखार होने व कोविड– 19 के प्रकोप की आशंका के चलते अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल 14 किता की रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । इसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा और रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 9 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज है । अपीलान्ट मौके पर खसरा नम्बर 3008, 3047, 3037, 3034 पर काबिज है और खसरा नम्बर 3039 से सिंचाई करते हैं । रेस्पोडेन्ट के कब्जे में अधिक भूमि है जबकि रिकॉर्ड में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का बराबर हिस्सा है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की भूमि की मेड़ों को ताडने एवं पानी के धौरों को नष्ट करने की धमकी देते हैं और अपीलान्ट को बेदखल करने का प्रयास करते हैं । रेस्पोडेन्ट ने जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें भी यह अंकित किया है कि बंटवारे में अपीलान्ट को 07 बीघा 14 बिस्वा आराजी प्राप्त हुई है शेष भूमि रेस्पोडेन्ट की है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को बेदखल करने का प्रयास करता है तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट 45 वर्ष पूर्व बंटवारा होने का कथन करते हैं परन्तु इसके समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है । अपीलान्ट ने जो नजीरें उद्वरत की हैं उनका विश्लेषण नहीं किया गया है । यह नजीरें क्यों लागू नहीं होती हैं यह परीक्षण न्यायालय ने अंकित नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1982 पेज 370, आरआरडी 1994 पेज 147, आरबीजे (9) 2002 पेज 47, आरआरडी 1993 पेज 206 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान सहखातेदार हैं और संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । पक्षकारान के मध्य 45 वर्ष पूर्व विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार अपीलान्ट को 07 बीघा 14 बिस्वा आराजी प्राप्त हुई है । शेष आराजी रेस्पोडेन्टगण के कब्जे में है । अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से इनका प्रार्थना पत्र खारिज किया है । आदेश 39 निमय 1, 2 के तहत परीक्षण न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें अपीलीय न्यायालय को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण एवं दूषित हों । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2014 (2) पेज 1656, डीएनजे 2013 पेज 194 उद्वरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट जो कि सहखातेदार हैं इनके द्वारा बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है । जिसका जवाब रेस्पोडेन्टगण ने पेश किया है । पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार पक्षकारान के संयुक्त खाते में ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली में कुल 14 किता की रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें अपीलान्टगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है । अपीलान्टगण का यह कथन है कि रेस्पोडेन्टगण उनको संयुक्त खाते की आराजी में से बेदखल करने पर आमादा हैं और उनको संयुकत खाते की चाह से सिंचाई करने से रोकते हैं ।

13. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक का कथन है कि वादग्रस्त आराजी का 45 वर्ष पूर्व विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार अपीलान्टगण को 07 बीघा 14 बिस्वा आराजी ही प्राप्त हुई है । पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है । रेस्पोडेन्टगण ने 45 वर्ष पूर्व विभाजन का कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है । इसलिए प्रथमदृष्टया इस स्टेज पर यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त आराजी का 45 वर्ष पूर्व विभाजन हो चुका है और इसमें अपीलान्टगण को 07 बीघा 14 बिस्वा आराजी ही प्राप्त हुई है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्वरत नजीर डीएनजे 2013 रेवेन्यू पेज 194 के क्रम में हमारा विनम्र मत है कि संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि प्रत्येक सहखातेदारर का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है परन्तु यह नजीर उन परिस्थितियों में चस्पा नहीं होगी जब एक खातेदार दूसरे सहखातेदार को बेदखल करने पर आमदा हो उन परिस्थिति में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्वरत नजीर आरआरडी 1982 पेज 371 और आरआरडी 1994 पेज 147 चस्पा होगी । रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्वरत नजीर आरएलडब्ल्यू 2014 (2) पेज 1656 के क्रम में हमारा विनम्र मत है कि यदि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को उसके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है तो वो बेदखल नहीं करने की सीमा तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है । इस दुष्टि से परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है और अपीलीय न्यायालय का हस्तक्षेप वांछनीय है । अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से के सहखातेदार दर्ज होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में तय पायी जाती है । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्वरत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में हम रेस्पोडेन्टगण को अपीलान्ट के उनके हिस्से की सीमा तक वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी खसरा नम्बर 3008, 3026, 3032, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3047 कुल 14 किता रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा में अपीलान्टगण को उनके हिस्से की सीमा तक बेदखल नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं रेस्पोडेन्टगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

15. निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.9.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा